From no 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी   मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

सायरी .... बनाम .... सेडूराम

किस्म मुकदमा 212 राज॰/काश्त अधि॰ 1955   नंबर 65 वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.4.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थना-पत्र 212 राज॰ काश्त॰ अधि॰ 1955 पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख॰ न॰ 551 रकबा 0.8251 हैक्टे॰ प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण लम्बे समय से काश्त कर रही है। इस आराजी पर ना तो अप्रार्थीगण का कोई हक-हिस्सा है और ना ही अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण के पड़ौस में है। अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है जो कि अवैध है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जे-काश्त की भूमि मे अनावश्यक रूप से बाधा कारित कर रहे है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करेगे तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इससे प्रार्थीगण को असुविधा भी होगी। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध [illegible] पर अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का [illegible] व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष [illegible] होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा दिनॉक 03.07.2021 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

20.4.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested